

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/ SFC/2015-20/ 1874/

दिनांक : 02.02.2016

—: स्वीकृति आदेश :-

नगर निगमों को वर्ष 2015-16 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि में से विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/डीएलबी/SFC/2015-20/ 1874-540 .. दिनांक 02.02.16 (स्वीकृति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर राशि रुपये 1149.84 लाख की कटौति की गयी है।

उक्त राशि रुपये 1149.84 लाख (अक्षरे रुपये ग्यारह करोड़ उनचास लाख चौरासी हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	01. कार्यकारी निदेशक RUIFDCO, के निजी निक्षेप खाता संख्या
80 - सामान्य	169 में हस्तांतरण योग्य राशि
191 - नगर निगम को सहायता	
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	
राशि रुपये 1149.84 लाख	राशि रु 1149.84 लाख
कुल योग-	राशि रुपये 1149.84 लाख

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171501229 दिनांक 21.01.2016 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/ SFC/2015-20/ 1874 2-58 दिनांक : 02.02.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 1149.84 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन/हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
2. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
7. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(हुसैन राय पवार)

मुख्य लेखाधिकारी

वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2014/
कोषाधिकारी,
सचिवालय, जयपुर।

दिनांक ०४.०२.२०१६

(स्वीकृति संख्या 617 /2015-16)

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगमों को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत द्वितीय किस्त की राशि में विभागीय स्तर पर काटी गयी राशि का समायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160) लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2015-20/18741-58 दि० 05.02.2016 के क्रम में निर्देशानुसार लेख हैं कि राशि रुपये 1149.84 लाख (अक्षरे रुपये ग्यारह करोड़ उनचास लाख चौरासी हजार मात्र) का निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये निम्नानुसार बजट मदों में समायोजन/हस्तांतरण कर दिया जावे:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	01. कार्यकारी निदेशक RUIFDCO, के निजि निक्षेप खाता संख्या
80 - सामान्य	169 में हस्तांतरण योग्य राशि
191 - नगर निगम को सहायता	
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	
राशि रुपये 1149.84 लाख	राशि रु 1149.84 लाख
कुल योग-	राशि रुपये 1149.84 लाख
	कुल योग-
	राशि रुपये 1149.84 लाख

भवदीय

W. S. Singh

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक RUDSICO जयपुर।
05. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
06. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
08. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, एफ.डी. जयपुर।
09. सुरक्षित पत्रावली।

W. S. Singh

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)